P: ISSN NO.: 2321-290X RNI : UPBIL/2013/55327 VOL-5* ISSUE-12*August- 2018
E: ISSN NO.: 2349-980X **Shrinkhla Ek Shodhparak Vaicharik Patrika**

सामान्य किशोरों एवं बालअपराधियों के बौद्धिक स्तर एवं सामाजिक परिपक्वता का अध्ययन

सुमनलता सक्सेना
सहायक प्राध्यापक,
शिक्षा शास्त्र विभाग,
कल्याण स्नातकोत्तर
महाविद्यालय,
भिलाई,

गायत्री जय मिश्रा
सहायक प्राध्यापक,
शिक्षा शास्त्र विभाग,
श्री शंकराचार्य महाविद्यालय,
जुनवानी

सारांश

किशोर हमारे आने वाले भविष्य के निर्माता कहे जाते हें,यदि इनके मन, स्वास्थ्य एवं व्यक्तित्व विकास में बाधा आती है और इनमें विकृति उत्पन्न होती है तो पूरे राष्ट्र का भविष्य कमजोर तथा नष्ट होता है। यदि किशोर सामाजिक एवं नैतिक मापदण्डों के अनुरूप व्यवहार नहीं करता, तो उसके व्यवहार को असामाजिक माना जाता है, और वह बालअपराधी कहलाता है, दूसरे शब्दों में बालअपराधी हम उस बालक को कहते हें जो समाज के नियमों का पालन नहीं करता एवं उसके द्वारा किया गया व्यवहार कानून की दृष्टि में अपराध की श्रेणी में आता है। किसी बालक एवं व्यक्ति के विकास एवं समाज में सफलता पूर्वक जीवन यापन के लिये आवश्यक है कि उसमें बुद्धि एवं सामाजिक परिपक्वता उत्पन्न हो, क्योंकि इनके अभाव में बालक का व्यवहार सामान्य मानदण्डों, नियमों से विचलित हो जाता है, इसी दृष्टि से प्रस्तुत अध्ययन में सामान्य किशोरों एवं बालअपराधियों के बौद्धिक स्तर एवं सामाजिक परिपक्वता का अध्ययन किया गया है।शोध कार्य हेतु छत्तीसगढ़ के 5जिलों से कुल बालअपराधी 181 सामान्य किशोर 181 आदर्श के रूप में उद्देश्यपूर्ण न्यादर्श विधि द्वारा लिए गए शोध में लिए चरों की परस्पर संबंध के विषय में अध्ययन करने हेतु कोटि क्रम सहसंबंध विधि द्वारा सहसंबंध गुणांक ज्ञात किया गया। परिणाम यह प्रदर्शित करते हैं कि बाल अपराधियों एवं सामान्य किशोरों, दोनों ही समूहों में बौद्धिक स्तर एवं सामाजिक परिपक्वता के मध्य सार्थक धनात्मक सहसंबंध है, अर्थात इन दोनों चरों में से एक चर का मान बढ़ाने पर दूसरे चर का मान भी बढ़ जाता है ।

मुख्य शब्द : बौद्धिक स्तर, सामाजिक परिपक्वता किशोर, बालअपराधी।

प्रस्तावना

किसी भी राष्ट्र का भावी विकास एवं निर्माण वर्तमान पीढ़ी के मनुष्यों पर उतना अवलंबित नहीं है, जितना कि आने वाली नई पीढ़ी पर निर्भर करता है अर्थात आज का ही बालक कल के समाज का सुनहरा भविष्य बनेगा। बालक के विकास का स्तर जैसा होगा, निश्चित तौर पर भारी समाज भी वैसा ही बनेगा किंतु इस आधुनिक पश्चिमी उन्मुक्त स्वच्छंदतावाद से ग्रसित समाज में हमारे भविष्य के इन कर्णधारों के लिए परिवार और समाज के पास वक्त की कमी है। ऐसे में बालकों का संपूर्ण शारीरिक, मानसिक, सामाजिक विकास मात्र कल्पना रह जाता है। ऐसे में किशोर अपनी बौद्धिक स्तर एवं सामाजिक परिपक्वता में कमी के कारण विभिन्न परिस्थितियों में अपराध की अंधेरी रातों में भटक जाते हैं और ऐसे कार्य कर जाते हैं जो कि समाज की दृष्टि में दंडनीय अपराध समझे जाते हैं। परिणामतः कानूनी तौर पर बाल अपराधी कहे जाते हैं। ऐसे समाज विरोधी कार्य करने वाले किशोरों को हम बाल अपराधी कहते हैं। करसन बूचर एवं कोलमैन (1988) के अनुसार बाल अपराध एक कानूनी पद है, इससे तात्पर्य उन बालकों के अपराधों से होता है जिनकी आयु 16,17 या 18 वर्ष जैसा कि उस देश का कानून होता है, से कम होती है। 18 वर्ष से कम आयु के बालक जो ऐसे कार्य करते हैं, उन्हें बाल अपराधी नहीं कहा जाता क्योंकि ऐसा समझा जाता है कि ऐसे बालक इन कार्यों के परिणाम तथा उसकी सार्थकता को समझने के लिए उतना परिपक्व नहीं है, जितना कि उसे होना चाहिए। जिन बाल हाथों में हमारा भविष्य गढ़ने का उत्तरदायित्व हम देते हैं, वह आज बाल अपराध की प्रवृत्ति के अंधकार में खोते जा रहे हैं। बाल अपराध महत्वपूर्ण समस्या इसलिए भी है क्योंकि यह सत्य है कि बाल अपराध, अपराध का मुख्य द्वार है। बाल अपराधों के अनेकों कारण हो सकते हैं,यदि हम कहें कि आधुनिक नगरीय एवं महानगरीय संस्कृति का प्रत्येक कदम सामान्य बालकों को निगल

कर बाल अपराधी बनाने को तैयार है,तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। किशोर के गुणों एवं संबंधित मनोवैज्ञानिक चरों जैसे बुद्धि, ध्यान, इच्छा,रूचि, परिपक्वता इत्यादि सभी पर पर्यावरणीय कारणों का प्रभाव दिखाई देता हैं। कई मनोवैज्ञानिक कारक बालकों में अपराधिक प्रवृत्ति को बढ़ावा देते हैं। मनोवैज्ञानिक कारणों में सबसे प्रमुख कारण बालक की मंदबुद्धिता है। अनेक शोध अध्ययन यह बताते हैं कि अधिकांश बालअपराधियों की बुद्धि लब्धि निम्न पाई गई है। रोसेनॉवा (1920),शूल्मन (1951), वेंकटेश एवं मूर्ति (1988), लिनम, मॉफिटएवं स्टोथमेर (1993), जर्वेलीन एवं रीट्टा (1995), रश्टोन (2003), फ्रीमैन (2012) आदि सभी ने अपने षोध में उक्त मत का समर्थन किया हैं किंतु इस तथ्य के साथ–साथ कुछ अध्ययन ऐसे भी हैं जो यह बताते हैं कि अत्यंत उच्च बुद्धि वाले किशोरों में भी अपराधिक प्रवृत्ति पाई जाती हैं। गेथ एवं टेनेन्ट (1972) द्वारा किये गये अध्ययन में स्पष्ट हुआ कि अति उच्च बुद्धि वाले व्यक्तियों में भी अपराध प्रवृत्ति पाई जाती हैं। कार्नेल (1972) ने गंभीर अपराध एवं उच्च बुद्धि के मध्य संबंध का स्पष्टीकरण करते हुए कहा हैं कि अति उच्च बुद्धि वाले अपराधी अधिकांशतः विध्नपूर्ण पारिवारिक पृष्ठभूमि से, समस्यापूर्ण स्कूली व्यवहार एवं नशीली दवाइयों के सेवन से संबंधित पाये गये। निष्पत्ति बुद्धि अधिक होने एवं बौद्धिक असंतुलन होने पर बाल अपराध को बढ़ावा मिलता है (वाल्स, पेटी एवं बेयर,1887)। अत्यंत उच्च बुद्धि, योग्यता वाले बालक भी अनुचित वातावरण मिलने पर अपराधी बन जाते हैं। अस्थाना (1989), मुलिया (1991), लुथरा एवं जिगलेर (1992) तथा सिंग (1996) के अनुसार की सामाजिक परिपक्वता एवं बुद्धि के मध्य धनात्मक सहसंबंध पाया जाता है। बालक अपनी बौद्धिक स्तर एवं क्षमता अनुरूप समाज के सदस्यों से उचित व्यवहार करने का प्रयत्न करता है, किन्तु सामाजिक रूप से अपरिपक्वता बालक में स्वतंत्रता तथा आत्मनिर्भरता की विकसित करने में उसकी असफलता को दर्शाता है वोरा (1980), सेवलुक (1983)। इस प्रकार संवेगात्मक असंतुलन तथा सामाजिक परिपक्वता की अपर्याप्तता की स्थिति में बालक स्वयं की एवं समाज तथ परिवेष में आने वाली कठिनाइयों को हल नहीं कर पाता तथा दैनिक कार्यों का निर्वाह करने हेतु उसे निरंतर सहयोग की आवश्यकता होती है। सहयोग एवं स्नेह सहानुभूति के अभाव में बालक का व्यवहार एवं व्यक्तित्व असमायोजित हो जाता है। यह स्थिति उसमें असुरक्षा, हीनता, आक्रमकता उद्धण्डता, अनुशासनहीनता जैसे गुणों को बढ़ाता है जो उसे अपराध की ओर भी प्रेरित करते हैं। शंमुगम (1980), डेल (1995), गैरी (1996), सिएन्निक एवं जेरिमी (2008), हिर्स्चफील्ड एवं गैस्चर (2011) द्वारा किये अध्ययन से स्पष्ट है कि शिक्षा बालअपराध को रोकने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।बाल अपराध हमारे समाज की तेजी से बढ़ती हुई सामाजिक समस्या बन गई है इस समस्या का निवारण उपयोगी एवं उपचारात्मक शिक्षा के माध्यम से संभव है क्योंकि ज्ञान की रोशनी ही इस समस्या के अंधेरे को मिटा सकती है और इसी प्रयास हेतु सामान्य किशोरों एवं बालअपराधियों के बौद्धिक स्तर एवं सामाजिक परिपक्वता के संबंध का अध्ययन किया गया है।

अध्ययन का उद्देश्य

सामान्य विकास से उपेक्षित बाल अपराधियों पर अनुसंधान एवं विचार की आवश्यकता सिर्फ उनके विकास हेतु ही नहीं, अपितु हमारे समाज के लिए भी आवश्यक है। ताकि उन बाल अपराधियों के विकास में आने वाली बाधाओं को हटाकर उन्हें विकास की मुख्यधारा में जोड़ा जा सके एवं मानव संसाधन को उन्नत किया जा सके क्योंकि यही किशोर आने वाले देश का भविष्य निर्माण करेंगे। मानव विकास एवं समाज से जुड़ी समस्याओं का समाधान ही शिक्षा अनुसंधान के मुख्य विषय रहे हैं। इसी क्रम में यह शोध कार्य किया गया है ताकि सामान्य किशोरों एवं बाल अपराधियों के बुद्धि, परिपक्वता एवं बढ़ते हुए त्रुटि पूर्ण व्यवहार प्रतिमानों के संदर्भ में जानकारी हासिल हो सके एवं उन्हें उनकी क्षमता एवं रूचि अनुरूप विकास हेतु वातावरण प्रदान किया जा सके। उपरोक्त बातों को ध्यान में रखते हुए प्रस्तुत शोध अध्ययन में निम्न उद्देश्यों का निर्धारण किया गया है ताकि शोध कार्य को निश्चित दिशा दी जा सके।

1. सामान्य किशोरों के बौद्धिक स्तर एवं सामाजिक परिपक्वता के मध्य संबंध का अध्ययन।
2. बाल अपराधियों के बौद्धिक स्तर एवं सामाजिक परिपक्वता के मध्य संबंध का अध्ययन।

साहित्यावलोकन

शोधकर्ता के शोध से सम्बन्धित क्षेत्र में अभी तक जो कार्य हुए है उनमें प्रमुख निम्नलिखित हैं–

सिम्मन्स, लिसा (2017) ने द रिलेशन्शिप बिट्वीन डेलिंक्वीन्सी एंड क्रियेटिव राइटिंग फॉर डीटेंड आडोलेसेंट मेल्स विषय पर अध्ययन किया गया इस अध्ययन में एक संक्षिप्त लेखन हस्तक्षेप, हमारी कहानियां लेखन (WOS) के उपयोग की जांच की गई।यह अध्ययन हिरासत मे लिये गये किशोरों के न्यार्दश में बालअपराध, आवेग, बुद्धि लब्धि से संबंधित है। अध्ययन में यह निष्कर्ष प्राप्त हुआ कि बुद्धि लब्धि और अपराध के बीच ($r=.605$, $p<0.01$) एक मजबूत संबंध था। चूंकि बुद्धि लब्धि में बढ़ोतरी के साथ अपराधिक प्रवृति कम होती है।

हसलींडा अब्दुल्लाह एवं अन्य (2015) द्वारा एग्रेसिव एंड डेलिंक्वेंट बिहेवियर एमॉग हाइ रिस्क यूथ इन मलेशिया विषय में अध्ययन किया गया। अध्ययन का उद्देश्य आक्रामक और अपराधी व्यवहार के स्तर का मापन, सबसे आम अपराधी व्यवहार की पहचान, और उच्च जोखिम वाले मलेशियाई युवाओं के न्यार्दश में जनसांख्यिकीय कारकों और व्यक्तिगत विशेषताओं के साथ आक्रामक और अपराधी व्यवहार के संबंधों की जांच करना था। नतीजे बताते हैं कि हालांकि नमूने में उच्च जोखिम वाले युवा शामिल थे, प्रतिभागियों ने आपराधिक व्यवहार में कम और आक्रामक व्यवहार में मध्यम अंक प्राप्त किया। निष्कर्ष आयु और जातीयता दोनों के साथ अपराधी व्यवहार स्तर के बीच महत्वपूर्ण संबंध दर्शाते हैं किंतु लिंग या धर्म के साथ महत्वपूर्ण संबंध प्राप्त नहीं हुआ।

निछोले लिंड (2013) द्वारा किये गये अध्ययन में मिड–वेस्टर्न कॉलेज के 18 से 20 वर्ष की आयु के छात्रों के आत्म रिपोर्ट अपराधी व्यवहार, मनोवैज्ञानिक परिपक्वता, और परवरिश शैली के प्रकार के मध्य रैखिक प्रतिगमन विश्लेषण किया गया और यह निष्कर्ष प्राप्त हुआ कि माता–पिता द्वारा आयोजित वास्तविक पर्यवेक्षण एक बेहतर भविष्यवाणी एवं निवारक साबित हुआ अपेक्षाकृत माता–पिता की भागीदारी के। मनोवैज्ञानिक परिपक्वता भी अपराधी व्यवहार के भविष्यवाणी करने में सक्षम थी, जो मनोवैज्ञानिक परिपक्वता में उच्च अंक प्राप्त करते हैं, उनमें अपराधी व्यवहार निम्न स्तर के पाये गये।

फ्रीमैन (2012) द्वारा किये गये अध्ययन में यह निष्कर्ष प्राप्त हुआ कि जेल में बंदियों में अधिकांश अपराधी निम्न बुद्धि से संबंधित थे। अतः इन अपराधियों में सुधार के लिये संभव प्रयास करना अनिवार्य है, ताकि इन्हें भी सजा के बाद पुर्नवास एवं नया जीवन शुरू करने में आसानी हो ।

हिर्स्चफील्ड एवं गैस्पर (2011) द्वारा विद्यार्थियों के विद्यालय संबद्धता एवं अपराधिक प्रवृत्ति के विषय में अध्ययन किया गया। अध्ययन में यह निष्कर्ष प्राप्त हुआ कि विद्यार्थियों की विद्यालय में भावनात्मक एवं व्यवहारात्मक संबद्धता अपराध में कमी का संकेतक है। साथ ही संज्ञानात्मक संबद्धता भी अपराध प्रवृत्ति में कमी या बढ़ोत्तरी की भविष्यवाणी करने में सहायक है ।

रश्टोन एवं अन्य (2009) ने बुद्वि अपराध, आय एवं त्वचा के रंग में राष्ट्रीय भेद का अध्ययन किया। अध्ययन में हत्या, बलात्कार और गंभीर मामलों में राष्ट्रीय अंतर तथा संबंधित राष्ट्रों की राष्ट्रीय आय बुद्धि त्वचा का रंग जन्मदर जीवन प्रत्याशा, शिशु मृत्यु दर और एच.आई. वी. एड्स के संबंध में 113 देशों में जॉच की गई। आंकड़े 1993–1996 अंतराष्ट्रीय अपराध इंटरपोल द्वारा प्रकाशित आंकड़ों से संग्रहित किये गये। जब 19 उप–सहारा अफ्रीकी देशो को विश्लेषण से अलग (बाहर) रखा गया तब अपराध का बुद्धि के साथ संबंध प्राप्त हुआ किन्तु त्वचा के रंग के साथ कोई संबंध नहीं पाया गया।

सीएन्निक एवं जेरिमी (2008) ने बालअपराधी युवाओं में शिक्षा की कमी की व्याख्या पर अध्ययन किया। उनका उद्देश्य यह जानना था कि बालअपराधी युवा अपने साथियों की तुलना में शिक्षा कम क्यों प्राप्त करते हैं। उनका शिक्षा में रूझान क्यों नहीं होता ।अपने अध्ययन में इन्होंने पाया कि शिक्षा के प्रति प्रतिबद्धता के दो पहलू है। 1) भविष्य लक्ष्य का निर्धारण एवं 2) उन लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु व्यवहार निवेश। अध्ययन से इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि बाल अपराधियों की स्कूल के साथ ही कालेज स्तर पर भी उपस्थिति एवं पढ़ाई की दर कम रहती है। बालअपराधी वास्तव में स्कूल में उनका प्रदर्शन किस स्तर का है, यह नहीं जान पाते साथ ही अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिये किये जाने वाले उचित प्रयास एवं व्यवहार के विषय में भी उन्हें जानकारी नहीं होती, इसलिये आवश्यक है कि बालअपराधी युवाओं में व्यवहार प्रतिबद्धता एवं आकांक्षा स्तर को सुधारा जाये।

गैरी (1996) द्वारा किये गये अध्ययन से यह निष्कर्ष प्राप्त हुये कि शाला में अनुपस्थिति एवं स्कूल त्यागी विद्यार्थियों में बालअपराध एवं अपराधिक प्रवृत्ति अधिक पाई गई। ये प्रवृत्ति नशीली दवाइयों के सेवन, शराब एवं हिंसात्मक प्रवृत्ति से भी जुड़ी होती है ।

लिनम, मॉफिट एवं स्टोथमेर(1993) द्वारा किये गये बुद्धि एवं बाल अपराध के मध्य संबंध के अध्ययन से यह निष्कर्ष प्राप्त हुआ कि बुद्धि में कमी बाल अपराध प्रवृत्ति में वृद्वि में सहायक है। अर्थात बुद्धि एवं बालअपराध में व्युत्क्रम संबंध पाया गया। बुद्धि एवं बालअपराध के संबंध में अध्ययन में जाति वर्ग इत्यादि में एकरूपता आवश्यक है। बुद्वि, काले युवाओं में परीक्षण प्रेरणा एवं स्कूल प्रदर्शन के लिए मध्यस्थ का कार्य करता है किंतु श्वेंत युवाओं में ऐसा नहीं पाया गया ।

लूथरा एवं जिगलेर (1992) द्वारा उच्च जोखिम वाले किशोरों में बुद्धि एवं सामाजिक क्षमता का अध्ययन किया गया। अपने अध्ययन में इन्होंने निष्कर्ष प्राप्त किया कि अधिक बुद्धिमान युवाओं में अपेक्षाकृत अधिक सामाजिक दक्षता पाई गई ।

कार्नेल (1992) द्वारा उच्च बुद्वि एवं गंभीर अपराध के मध्य संबंध का अध्ययन किया गया और पाया कि अपराधियों के अध्ययन में कुछ अति उच्च बुद्धि के अपराधी भी होते है जिनमें अधिकांशतः विघ्नपूर्ण परिवार, स्कूली व्यवहार में समस्या, नशीली दवाईयों के सेवन से संबंधित थे ।

मुलिया (1991) ने उच्चतर माध्यमिक विद्याार्थियों के संकाय लिंग और बुद्धि लब्धि के आधार पर उनके समाजिक परिपक्वता का तुलनात्मक अध्ययन किया और निष्कर्ष प्राप्त किए. – 1) लिंग और संकाय स्वत्रंत रुप से सामाजिक परिपक्वता को प्रभावित नही करते है परंतु बुद्धि लब्धि करता है। 2) बुद्धि लब्धि और संकाय संबंधित थे एवं सामाजिक परिपक्वता समाजीकरण की प्रक्रिया में मूल्य भूमिका अदा करती है।

अस्थाना (1989)ने लखनउ शहर में विद्यालय जाने वाले बच्चों के बीच सामाजिक परिपक्वता का अध्ययन किया। निष्कर्ष यह दर्शाते हैं कि सामाजिक परिपक्वता, आयु कक्षा बुद्धि, उपलब्धि और वयस्क निर्भरता से संबंधित है, परंतु लिंग से नहीं।

वेंकटेश एवं मूर्ति (1988) द्वारा किये गये अध्ययन से यह निष्कर्ष प्राप्त हुये कि बाल अपराध प्रवृत्ति निम्न बुद्धि एवं बड़े परिवार के आकार से संबंधित है अन्य कारकों से नहीं है ।

सेवलुक (1983) ने थाइलैण्ड के शिक्षा महाविद्यालय के छात्रों के सामाजिक परिपक्वता का अध्ययन किया। अपने अध्ययन में इन्होंने निम्न परिणाम प्राप्त किये कि–उच्च संवेगात्मक परिपक्वता वाले विद्यार्थियों की सामाजिक परिपक्वता, निम्न संवेगात्मक परिपक्वता वाले विद्यार्थियों से अधिक थी। ऐसे विद्यार्थी जिनका व्यक्तिगत सामाजिक समायोजन अच्छा था, वे बुरे व्यक्तिगत, सामाजिक समायोजन वाले विद्यार्थियों से सामाजिक रूप से अधिक परिपक्व थे।

शंमुगम (1980) ने बालअपराध के मनोवैज्ञानिक एवं सामाजिक कारकों का अध्ययन किया। अध्ययन में यह निष्कर्ष प्राप्त हुये कि मनोवैज्ञानिक कारक जैसे बर्हिमुखी, न्यूरोटिसिज्म, सृजनात्मकता, बुद्धि सामाजिक कारक, शिक्षा

स्तर जन्मक्रम इत्यादि सभी बालअपराध की प्रवृत्ति में भूमिका निभाते हैं।

वोरा (1980) ने शिक्षा महाविद्यालय के विद्यार्थियों की सामाजिक परिपक्वता एवं सामाजिक, मनोवैज्ञानिक पहलुओं के संदर्भ में अध्ययन कर निम्न तथ्य प्रस्तुत किये है 1. विद्यार्थी अध्यापकों में सामाजिक परिपक्वता अध्यापिकाओं से अधिक होती है। 2. आयु एवं परिवार का आकार, सामाजिक परिपक्वता से संबंधित नहीं है। 3. वाणिज्य स्नातक विद्यार्थियों में कला तथा विज्ञान के स्नातक विद्यार्थियों की तुलना में अधिक सामाजिक परिपक्वता पाई जाती है। असामाजिक परिपक्वता एवं मानसिक स्थिरता में महत्वपूर्ण प्रभावी संबंध है ।

शूल्मन (1951) के द्वारा बुद्धि एवं अपराध विषय पर अध्ययन किया गया जिसमे उन्होंने पाया कि बुद्धि में कमी या त्रुटि अपराध की उत्पति मे महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

रोसेनॉवा (1920) ने अपने अध्ययन द्वारा बुद्धि एवं बालअपराध के मध्य संबंध के विषय में उठने वाले विवाद को सुलझाने का प्रयत्न किया। उन्होने यह निष्कर्ष प्राप्त किये कि बुद्धि में कमी अपराध के एक मुख्य कारकों में से एक हैं। बुद्धि में कमी एवं अपराध के मध्य संबंध पाया जाता हैं।

परिकल्पना

परिकल्पना क्रमांक 1, 2 का विस्तार से अध्ययन करने हेतु निम्न तीन–तीन उपपरिकल्पनाओं का निर्माण एवं परीक्षण किया गया है।

1. बाल अपराधियों की बौद्धिक स्तर एवं सामाजिक परिपक्वता में सहसंबंध नहीं होता है।

1.1 आयु वर्ग 12– 14 वर्ष के बाल अपराधियों की बौद्धिक स्तर एवं सामाजिक परिपक्वता में सहसंबंध नहीं होता है।

1.2 आयु वर्ग 14– 16 वर्ष के बाल अपराधियों की बौद्धिक स्तर एवं सामाजिक परिपक्वता में सहसंबंध नहीं होता है।

1.3 आयु वर्ग 16– 18 वर्ष के बाल अपराधियों की बौद्धिक स्तर एवं सामाजिक परिपक्वता में सहसंबंध नहीं होता है।

2. सामान्य किशोरों की बौद्धिक स्तर एवं सामाजिक परिपक्वता में सहसंबंध नहीं होता है।

2.1 आयु वर्ग 12– 14 वर्ष के सामान्य किशोरों की बौद्धिक स्तर एवं सामाजिक परिपक्वता में सहसंबंध नहीं होता है।

2.2 आयु वर्ग 14– 16 वर्ष के सामान्य किशोरों की बौद्धिक स्तर एवं सामाजिक परिपक्वता में सहसंबंध नहीं होता है।

2.3 आयु वर्ग 16– 18 वर्ष के सामान्य किशोरों की बौद्धिक स्तर एवं सामाजिक परिपक्वता में सहसंबंध नहीं होता है।

शोध अभिकल्प व न्यादर्श

प्रस्तुत शोध में प्रयुक्त शोध अभिकल्प अप्रयोगात्मक, सहसंबंधात्मक शोध अभिकल्प है,जो कि शोध में लिए चरों की परस्पर संबंध के विषय में अध्ययन में सहायक है ।शोध कार्य हेतु छत्तीसगढ़ के 5जिलों के बाल संप्रेषण गृह से बाल अपराधियों तथा उन्हीं जिलों के माध्यमिक एवं उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों से सामान्य किशोरों का चयन किया गया है। कुल बालअपराधी 181, सामान्य किशोर 181 न्यादर्श के रूप में उद्देश्यपूर्ण न्यादर्श विधि द्वारा लिए गए। सामान्य किशोरों के न्यादर्श हेतु छत्तीसगढ़ के जिलों जहां संप्रेषण गृह हैं, के माध्यमिक एवं उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों का चयन उद्देश्यपूर्ण विधि द्वारा किया गया। प्रत्येक जिले के 2 विद्यालयों से विद्यार्थियों का चयन उनकी आयु सीमा, क्षेत्र के आधार पर उद्देश्य पूर्ण विधि द्वारा किया गया।

सांख्यकीय विधि

उद्देश्य की पूर्ति हेतु संपूर्ण न्यादर्श को विभिन्न आयु वर्ग 12 –14 वर्ष 14 – 16 वर्ष 16 – 18 वर्ष में बांटा गया है। चरों के मध्य संबंध का अध्ययन करने हेतु कोटि क्रम सहसंबंध विधि द्वारा सहसंबंध गुणांक ज्ञात किया गया है।

उपकरण

प्रस्तुत शोध में सामान्य किशोरों एवं बाल अपराधियों के बुद्धि तथा सामाजिक परिपक्वता के संबंध के अध्ययन किया गया है। इन चरों के मापन हेतु निम्न उपकरणों का उपयोग किया गया है।

चर	मापनी	निर्माणकर्त्ता
बुद्धि,	बुद्धि का मिश्रित समूह प्रकार परीक्षण,	महरोत्रा(2012)
सामाजिक परिपक्वता,	सामाजिक परिपक्वता मापनी	श्रीवास्तव (2012)

ऑकड़ों का विश्लेषण एवं परिकल्पनाओं का परीक्षण

बौद्धिक स्तर एवं संवेगात्मक परिपक्वता में सहसंबंध का अध्ययन करने के लिए दोनों समूहों– सामान्य किशोरों एवं बाल अपराधियों के बौद्धिक स्तर एवं सामाजिक परिपक्वता के प्राप्तांको के मध्य सहसंबंध गुणांक की गणना की गई है। चूँकि प्रतिदर्श संख्या 10 से अधिक है, अतः 't' मूल्य की गणना करके H0 के घटित होने की संभावना ज्ञात की गई है। प्राप्त परिणामों को सारणी क्रमांक 1,2,3,4 में प्रस्तुत किया गया है।

बाल अपराधियों के बौद्धिक स्तर एवं संवेगात्मक परिपक्वता के प्राप्तांको के मध्य सहसंबंध

सारणी क्रमांक -1 बाल अपराधियों की बौद्धिक स्तर एवं सामाजिक परिपक्वता के मध्य सहसंबंध

क्रं.	चर	प्रतिदर्श संख्या	स्वतंत्रता के अंश (df)	सहसंबंध गुणांक	**'t'** मूल्य
1. 2.	बुद्धि सामाजिक परिपक्वता	181	179	0.71	13. 48*
*P< .01					सार्थक

उपरोक्त सारणी से यह स्पष्ट है कि बाल अपराधियों की बौद्धिक स्तर एवं सामाजिक परिपक्वता के मध्य सहसंबंध गुणांक 0.71 है। सहसंबंध गुणांक की सार्थकता की जांच हेतु 't' मूल्य की गणना की गई है क्योंकि यहाँ पर का मान 30 से अधिक है। अतः प्राप्त

't'का मान 13.48 है जो कि .01 विश्वास स्तर पर दिये मान से अधिक है। यह इस बात की पुष्टि करता है कि शून्य परिकल्पना क्रमांक 1 ''बाल अपराधियों की बौद्धिक स्तर एवं सामाजिक परिपक्वता में सहसंबंध नहीं होता है।'' अस्वीकृत होती है। उपरोक्त परिणाम से यह निष्कर्ष प्राप्त होता है कि 181 प्रतिदर्श जिस जनसंख्या (बाल अपराधी) से लिये गये हैं उसमें बौद्धिक स्तर एवं सामाजिक परिपक्वता में साहचर्य है। परिकल्पना क्रमांक 1का विस्तार से अध्ययन करने हेतु उपरोक्त तीन उप परिकल्पनाओं 1.1, 1.2, 1.3 का निर्माण एवं परीक्षण किया गया है। उपरोक्त उप परिकल्पनाओं के सत्यापन हेतु सहसंबंध गुणांक एवं 't' की गणना की गयी है ।

सारणी क्रमांक 2 विभिन्न आयु वर्ग के बाल अपराधियों की बौद्धिक स्तर एवं सामाजिक परिपक्वता के मध्य सहसंबंध

क्रं.	आयु वर्ग	प्रतिदर्श संख्या	स्वतंत्रता के अंश (df)	सहसंबंध गुणांक	't' मूल्य
1.	12–14 वर्ष	44	42	0.61	5.00*
2.	14–16 वर्ष	74	72	0.91	19. 69*
3.	16–18 वर्ष	63	61	0.52	4.83*
*P< .01					सार्थक

सारणी क्रमांक 2 के अध्ययन से यह स्पष्ट होता है कि आयुवर्ग 12–14 वर्ष 14–16 वर्ष एवं 16–18 वर्ष के बाल अपराधियों की बौद्धिक स्तर एवं सामाजिक परिपक्वता के मध्य सहसंबंध गुणांक क्रमशः 0.61, 0.91, 0. 52 है। सहसंबंध गुणांक धनात्मक है। सहसंबंध गुणांक की सार्थकता की जांच हेतु 't' मूल्य की गणना का मान क्रमशः 5.00, 19.69, 4.83 है। जो कि .01 विश्वास स्तर के मान से अधिक है। अतः शून्य परिकल्पना क्रमांक 1.1, 1.2, 1.3 अस्वीकृत की जाती है। इससे यह स्पष्ट होता है कि सभी आयु वर्गों के बाल अपराधियों की बौद्धिक स्तर एवं सामाजिक परिपक्वता के मध्य सार्थक सहसंबंध होता है। उपरोक्त परिणामों से यह तथ्य स्पष्ट है कि बाल अपराधियों की बौद्धिक स्तर एवं सामाजिक परिपक्वता दोनों ही चरों में साहचर्य है ।

सामान्य किशोरों के बौद्धिक स्तर एवं सामाजिक परिपक्वता के मध्य सहसंबंध का अध्ययन

सारणी क्रमांक 3 सामान्य किशोरों की बौद्धिक स्तर एवं सामाजिक परिपक्वता के मध्य सहसंबंध

क्रं.	चर	प्रतिदर्श संख्या	स्वतंत्रता के अंश (df)	सहसंबंध गुणांक	't' मूल्य
1. 2.	बुद्धि सामाजिक परिपक्वता	181	179	0.46	6. 91*
*P< .01					सार्थक

सारणी क्रमांक 3के अध्ययन से यह स्पष्ट होता है कि सामान्य किशोरों के बौद्धिक स्तर एवं संवेगात्मक परिपक्वता के मध्य सहसंबंध गुणांक 0.46 एवं t का मान 6.91प्राप्त हुआ है। N>10 होने पर सहसंबंध गुणांक की सार्थकता की जांच हेतु 't' मूल्य की गणना द्वारा किया गया है। प्राप्त 't'का मान 6.91 है जो कि .01 विश्वास स्तर पर दिये मान से अधिक है। शून्य परिकल्पना क्रमांक 3''सामान्य किशोरों की बौद्धिक स्तर एवं सामाजिक परिपक्वता में सहसंबंध नहीं होता है।'' अस्वीकृत होती है। अतः परिणाम से यह निष्कर्ष प्राप्त होता है कि 181 प्रतिदर्श जिस जनसंख्या (सामान्य किशोर) से लिये गये हैं उसमें बौद्धिक स्तर एवं सामाजिक परिपक्वता में साहचर्य है। परिकल्पना क्रमांक 3 का विस्तार से अध्ययन करने हेतु उपरोक्त तीन उप परिकल्पनाओं 2.1, 2.2, 2.3 का निर्माण एवं परीक्षण किया गया है। उपरोक्त उप परिकल्पनाओं के सत्यापन हेतु सहसंबंध गुणांक एवं 't' की गणना की गयी है ।

सारणी क्रमांक 4 विभिन्न आयु वर्ग के सामान्य किशोरों की बौद्धिक स्तर एवं सामाजिक परिपक्वता के मध्य सहसंबंध

क्रं.	आयु वर्ग	प्रतिदर्श संख्या	स्वतंत्रता के अंश (df)	सहसंबंध गुणांक	't' मूल्य
1.	12–14 वर्ष	44	42	0.53	4.12*
2.	14–16 वर्ष	74	72	0.59	6.35*
3.	16–18 वर्ष	63	61	0.35	2.95*
*P< .01					सार्थक

सारणी क्रमांक 4 के अध्ययन से यह स्पष्ट होता है कि आयुवर्ग 12–14 वर्ष 14–16 वर्ष एवं 16–18 वर्ष के सामान्य किशोरों की बौद्धिक स्तर एवं सामाजिक परिपक्वता के मध्य सहसंबंध गुणांक क्रमशः 0.53, 0.59, 0. 35 है। सहसंबंध गुणांक धनात्मक है। सहसंबंध गुणांक की सार्थकता की जांच हेतु 't' मूल्य की गणना का मान क्रमशः 4.12, 6.35, 2.95 है। जो कि .01 विश्वास स्तर के मान से अधिक है। अतः शून्य परिकल्पना क्रमांक 2.1, 2.2, 2.3 अस्वीकृत की जाती है। इससे यह स्पष्ट होता है कि सभी आयु वर्गों के सामान्य किशोरों की बौद्धिक स्तर एवं सामाजिक परिपक्वता के मध्य सार्थक सहसंबंध होता है। उपरोक्त परिणामों से यह तथ्य स्पष्ट है कि बाल अपराधियों की बौद्धिक स्तर एवं सामाजिक परिपक्वता दोनों ही चरों में साहचर्य है। उपरोक्त सभी परिणामों से परिलक्षित होता है कि सभी आयु वर्गों के सामान्य किशोरों की बौद्धिक स्तर एवं सामाजिक परिपक्वता के मध्य सार्थक सहसंबंध है ।

निष्कर्ष एवं सुझाव

उपरोक्त परिणामों से यह तथ्य स्पष्ट है कि बाल अपराधियों एवं सामान्य किशोरों, दोनों ही समूहों में बौद्धिक स्तर एवं सामाजिक परिपक्वता के मध्य सार्थक

धनात्मक सहसंबंध है, अर्थात इन दोनों चरों में से एकचर का मान बढ़ाने पर दूसरे चर का मान भी बढ़ जाता है। अस्थाना (1989), मुलिया (1991), लुथरा एवं जिगलेर (1992) तथा सिंग (1996) के अनुसार भी सामाजिक परिपक्वता एवं बुद्धि के मध्य धनात्मक सहसंबंध पाया जाता है।

किशोरावस्था में बालक का सामाजिक दायरा परिवार से बढ़कर मित्रों सहपाठियों और समुदाय के सदस्य के रूप में परिणित होने लगता है। वह अपनी बुद्धि अनुसार इन सामाजिक अंगो एवं परिस्थितियों से समायोजन करता है। बुद्धि, समायोजन एवं समस्या समाधान, तर्क, कल्पना, चिंतन की क्षमता है इन क्षमताओं के आधार पर व्यक्ति समाज एवं उसके मानदण्डो, नियमों एवं मूल्यों को समझता है एवं उनके अनुरूप व्यवहार करना सीखता है जो कि उसके सामाजिक विकास को दर्शाता है। अतः स्पष्ट है कि बुद्धि एवं सामाजिक परिपक्वता आपस में पूर्ण रूप से संबंधित है। बुद्धि लब्धि में बढ़ोतरी के साथ अपराधिक प्रवृति कम होती है, सिम्मन्स, लिसा (2017)। परिपक्वता में कमी भी अपराधी व्यवहार के भविष्यवाणी करने में सक्षम थी, निछोले लिंड (2013) के अनुसार जो मनोवैज्ञानिक परिपक्वता में उच्च अंक प्राप्त करते हैं, उनमें अपराधी व्यवहार निम्न स्तर के पाये गये। अतः उपयोगी एवं उपचारात्मक शिक्षा के माध्यम से सामान्य किशोरों एवं बालअपराधियों के बौद्धिक स्तर एवं सामाजिक परिपक्वता को बढ़ाने का प्रयास किया जाना चाहिए।

शैक्षिक उपादेयता एवं सुझाव

बालक ही मानव के भविष्य के सारी संभावनाओं एवं सपनों को पूरा करने वाला है इसलिए विश्व के प्रत्येक हिस्से में सर्वप्रथम बालकों पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। नेल्सन मंडेला के कथनानुसार किसी समाज की आत्मा की सबसे अच्छी पहचान इसी से होती है कि वह अपने बच्चों के साथ कैसा व्यवहार करता है । यह तथ्य सभी को भली भांति विदित है कि किशोरावस्था में कदम रखते हुये एक किशोर के अंदर अनेक शारीरिक, मानसिक, संवेगिक बदलाव आते हैं जो कि उनमें कई समस्याओं को जन्म देते हैं। वेराइस किदवई एवं अन्य (2010) ने भी अध्ययन में स्पष्ट किया है कि अधिकांश व्यवहार जनित समस्याएँ किशोरावस्था से शुरू होती है और यदि इन्हें पहचान कर सही ना किया जाये तो पूरा जीवन बने रहते हैं। व्यवहार में उत्पन्न यह त्रुटियाँ धीरे. धीरे कब अपराध की दिशा में बालक को ले जाता है हमें पता नहीं चलता है। यदि हमारा मकसद ऐसे अपराधी बालकों को सजा देती है उनके द्वारा किये गये अपराधों का उनसे बदला लेना हमारा उद्देश्य है तो उन्हें प्रताड़ना भी किया जाना चाहिए किंतु यदि हमारा उद्देश्य उन फ्रबालकों को सुधारना है। उन्हें मुख्य धारा से जोड़ना है तो हमें उनके अंदर छिपी क्षमताओं को विकसित करना होगा। बालक के द्वारा किये गये अपराध पर हमें उससे ऐसे ही आचरण करना होगा जैसा कि बुद्धिमान माता–पिता अपने बच्चे के व्यवहार को सुधारने हेतु करते हैं ।

अतः आवश्यक है कि किशोरों में आ रहे शारीरिक, मानसिक, सांवेगिक एवं व्यवहारिक परिवर्तनों को शिक्षक, अभिभावक एवं समाज समझे इसलिए प्रस्तुत अध्ययनन के निष्कर्ष अभिभावकों, शिक्षकों, विद्यालय प्रशासन एवं समाज के लिए महत्वपूर्ण है। शोध से प्राप्त निष्कर्षो के आधार शिक्षकों, अभिभावकों एवं समाज हेतु सुझाव निम्नानुसार है–

1. अभिभावक, शिक्षक, समाज के सदस्य के रूप में हमें किशोरों को अनेक नये कार्य एवं उत्तरदायित्व सौपना चाहिए और उस कार्य में उनका मार्गदर्शन करना चाहिए। जिससे उनकी ऊर्जा एवं क्षमता की खपत होने के साथ ही उनमें बौद्धिक विकास एवं परिपक्वता तथा रूचि को सही दिशा प्राप्त हो सके। अभिभावकों को उनकी उचित इच्छाओं एवं आवश्यकताओं की पूर्ति का यशासंभव प्रयास करना चाहिए ।
2. शिक्षकों का व्यवहार विद्यार्थियों की ओर सौहार्दपूर्ण एवं सहयोगात्मक हो।व्यंग, दण्ड और उपहास हमेशा बालकों के बौद्धिक एवं सामाजिक परिपक्वता में कमी लाता है।
3. किशोरों के विकास में आने वाले परिवर्तनों,व्यवहार जनित समस्याओं के विषय में संबंधित अभिभावकों को भी अवगत करना चाहिए।शिक्षकों को कक्षा कक्ष का वातावरण उचित अनुशासनपूर्ण व मनोरंजक बना चाहिए ताकि विद्यार्थी अध्ययन में जुटे रहे ।
4. प्रत्येक विद्यालय में ऐसी समिति होनी चाहिए जिसमें योग्य शिक्षक, अभिभावक एवं मनोवैज्ञानिक सदस्य समय.समय पर वे आपस में मिलकर किशोरों को आने वाली समस्याओं के विषय उचित मार्गदर्शन उनकी समस्याओं को सुलझायें ।
5. ऐसे सामाजिक सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन करना चाहिए जिसमें किशोरों को उत्तरदायित्व सौंपे जायें। इससे उनमें सामाजिक समूहों में स्वयं को समायोजित करने की क्षमता का विकास होगा जो कि उनमें बौद्धिक एवं सामाजिक परिपक्वता विकसित करेगा ।

संदर्भ ग्रंथ सूची

1. *अस्थाना, ए. (1989). लखनऊ शहर में विद्यालयीन बच्चों की सामाजिक परिपक्वता का अध्ययन, फिफ्थ सर्वे ऑफ एजुकेशनल रिसर्च, 1,92*
2. *कार्नेल, डेवी.जी. (1992). उच्च बुद्धि एवं गंभीर अपराध : संबंध को लेकर विवादित साक्ष्य, रोइपर रीव्यूव,14(4),233–236, http://www.eric.ed.gov*
3. *गेथ, डी. एवं टेनेन्ट जी. (1972). उच्च बुद्धि एवं अपराधः एक समीक्षा, ब्रिट्रीश जनरल ऑफ क्रिमीनोलॉजी, 12(2), 174–181, http://bic.oxford journals.org*
4. *गैरी, इ.(1996), अनुपस्थितिः जीवन की समस्याओं की प्रथम सीढ़ी, जुवेनाइल जस्टीज बुलेटीन, 141*
5. *जर्वेलीन, एम., एवं रीट्टा (1995). बाल अपराध, शिक्षा एवं मानसिक अयोग्यता, एक्सेप्शनल चिल्ड्रन, 61(3) 230–241*

6. डेल, के. (1995). अपराध एवं हिंसा के संकेतक, जनरल ऑफ रिसर्च रिपोर्ट, 140
7. निछोले लिंड(2013),इ इंपेक्ट ऑफ मेचुरिटीएंडपेरेंटिंग स्टाइल इन डेलिंक्वेंट बहविओर्स, https://scholars.fhsu.edu/theses
8. फ्रीमैन, जे. (2012). निम्नबुद्धि, अपराध एवं हिरासत में परिणामः एकगुट की संक्षिप्त समीक्षा, वल्नैरेबल ग्रुप्स एण्ड इंक्लूशन, 3, www.vulnerablegroupsandinclusion.net
9. महरोत्रा, पी.एन. (2012). मैनुअल फॉर मिक्सड ग्रुप टाइप ऑफ इंटेलिजेंस टेस्ट, आगरा,नेशनल साइकोलॉजीकल कार्पोरेशन
10. मुलिया, आर.डी. (1991). उच्चतर माध्यमिक विद्यार्थियों के संकाय लिंग एवं बुद्धि लब्धि के आधार पर उनके सामाजिक परिपक्वता का तुलनात्मक अध्ययन, जनरल ऑफ एजुकेशन एण्ड साइकोलॉजी, 48 (34), 145–155
11. रश्टोन, जे. फिलिप, डोनाल्ड, टेम्प्लेर (2009). बुद्धि, अपराध, आय एवं त्वचा के रंग में राष्ट्रीय भेद, इनटेलिजेंस,37,341–346 www.sciencedirect.com
12. रोसेनांवा, कर्ट (1920). बुद्धि की कमी बाल अपराध की मुख्य कारण, साइकोलॉजीकल रिव्यूव, 27(2), 147–157
13. लिनम, डी. मॉफिट,टी. एवं स्टोथेमर, एन.एम. (1993). बुद्धि एवं बाल अपराध के मध्य संबंध की व्याख्याःजाति, वर्ग,परीक्षण प्रेरणा, स्कूलविफलता,आत्मनियंत्रण, जनरल ऑफ एबनॉरमल साइकोलॉजी, 102(4), 552, http://www.ncbi.nih.gov
14. लूथरा, एस., एवं जिगलेर ए. (1992). उच्च जोखिम वाले किशोरोंके बीच बुद्धि और सामाजिक क्षमता, डेवलेपमेंट एण्ड साइकोपैथोलॉजी, 4(2), 287–299,
15. वेंकटेश, सी.जी. एवं मूर्ति, सी. (1988). बाल अपराधियों एवं गैर बाल अपराधियों के बुद्धि स्तर, कुण्ठा के प्रति प्रतिक्रिया, परिवार का आकार एवं शिक्षा के संदर्भ में तुलनात्मक अध्ययन, जनरल ऑफ एबनॉरमल साइकोलॉजी, 14(1), 7–15, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2946339
16. वेराइस क़िदवई एवं अन्य (2010) ,डोलेसेंट लाइफस्टाइल,एंड बिहेवियर : ए सर्वे फ्रॉम, ए डेवेलपिंग कंट्री,प्लोस वन, 5(9), https://www.ncbi.nlm.nih.gov
17. वोरा, जे. आई. (1980). शिक्षा महाविद्यालयीन के विद्यार्थियों की सामाजिक मनोवैज्ञानिक पहलूओं के संदर्भ में अध्ययन, थर्ड सर्वे ऑफ रिसर्च इन एजुकेशन, 854
18. शूल्मन, एच.एम. (1951). बुद्धि एवं अपराध, जनरल ऑफ क्रिमिनल लॉ एण्ड क्रिमिनोलॉजी, 41(6), 763–781,www.jstor.org
19. शंगुगम (1980). बाल अपराधियों के मनोवैज्ञानिक कारक, पी.एच.डी. शोध अध्ययन, युनिवर्सिटी ऑफ मद्रास. सामाजिक परिपक्वता का संबंध बुद्धि से, प्रोसिडिंग्स ऑफ द एट्टी थर्ड सेसन ऑफ द इण्डियन साइंस कांग्रेस, पटियाला, 3
20. सिम्मन्स, लिसा (2017), द रिलेशन्शिप बिट्वीन डेलिंक्वीन्सी एंड क्रियेटिव राइटिंग फॉर डीटेंड आडोलेसेंट मेल्स,ए डिसरर्टेशन फॉर पी.एच.डी., आबर्न यूनिवर्सिटी, अलाबामा https://etd.auburn.edu/bitstream/handle/10415/5727
21. सीएन्निक, एस.ई. एवं जेरिमी, एन. (2008), बाल अपराधी युवाओं में शिक्षा की कमी की व्याख्या, क्रिमीनोलॉजी, 46(3), 609–635, http://www.ingentaconnect.com
22. सेवलुक, टी. (1983), थाइलैण्ड के उत्तर मध्य क्षेत्र के बी.एड. विद्यार्थियों के मनोसामाजिक समायोजन के कारक के रूप में सामाजिक परिपक्वता का अध्ययन, फोर्थ सर्वे ऑफ रिसर्च इन एजुकेशन, 1, 261
23. हसलींडा अब्दुल्लाह एवं अन्य (2015), एग्रेसिव एंड डेलिंक्वेंट बिहेवियर एमॉग हाइ रिस्क यूथ इन मलेशिया, एशियन सोशियल साइन्स,11 (16),62–73, https://www.researchgate.net/profile/Adriana_Ortega/publication/281505916
24. हिर्स्चफील्ड, पी.जे. एवं गैस्पर, जे. (2011). पश्च बाल्यावस्था एवं पूर्व किशोरावस्था में विद्यालय संबंद्धता एवं बाल अपराध में संबंध, जनरल ऑफ यूथ एण्ड एडोलसेंस, 40(1), 3–22, http://link-springer.com
25. श्रीवास्तव, आर.पी. (2012). मैनुअल फॉर सोशल मैच्यूरिटी स्केल, आगरा, नेशनल साइकोलॉजीकल कार्पोरेशन